तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद मु.न. 33/2021** **अनवान स्टेट बनाम तारा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.09.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में प्रावधान है कि काश्तकार द्वारा शर्त भंग करने या भूमि का नुकसान करने पर भू स्वामी को बेदखल करने हेतु माननीय न्यायालय हाजा में प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने का अधिकार प्राप्त है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में भू धारक द्वारा काश्तकार के विरूद्ध उसकी खातेदारी समाप्त करके स्वामित्व राज्य सरकार के हक में दर्ज करने का वाद/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नही है । वादी/प्रार्थी द्वारा आर. टी. ए. 1955 की धारा 177 के प्रावधानो के उलघंन में दावा/प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो विधी द्वारा वर्जित है एंवम् विधी के विरूद्ध है। अतः विधी विरूद्ध तथा विधी द्वारा वर्जित होने से दावा/प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करने योग्य है। प्रस्तुत दावा/प्रार्थना – पत्र सी. पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 (घ) में दिये गये उपबन्धो की अनुपालना में तत्काल अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी अप्रार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि उक्त भूमि नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी भूमि के रूपान्तरण हेतु नगरपालिका श्रीडूंगरगढ में आवेदन किया जाकर भूमि रूपान्तरण हेतु शुल्क जमा किया हुआ है परन्तु माननीय न्यायालय के स्थगन होने के कारण उक्त कृषि भूमि का भू–रूपान्तरण नहीं हो पा रहा है। एवं वादी का दावा/प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में नगरपालिका श्रीडूंगरगढ में भूमि रूपान्तरण हेतु जमा रशीद संख्या 15 दिनांक 14.09.2022 राशि 32360/रू. पेश की गई। अप्रार्थी/वादी की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ के खसरा नंबर 738 तादादी 1.13 हैक्टेयर भूमि श्रीडूंगरगढ–बीदासर रोड पर स्थित है एवं उक्त खसरे में लगभग 0.45 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय मकान बने हुए है तथा शेष भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ का स्थगन आदेश है एवं प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय उक्त खसरे के संबन्ध में सहखातेदारो/प्रतिवादी को बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई किये वाद/ प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि उक्त भूमि सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। वादगत कृषि भूमि नगरपालिका श्रीडूंगरगढ पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.25 11:11:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु नगरपालिका श्रीडूंगरगढ में भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया जाकर भू–रूपान्तरण हेतु शुल्क जमा करवा रखा है। वादी/प्रार्थी ने बिना रूपान्तरण छोटे–छोटे प्लाटो के रूप में विक्रय करनें के संबंध में वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 में भी छोटे–छोटे प्लाटो के रूप में विक्रय करनें के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। वादी का वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी की परिधी में आता है। लिहाजा प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.25 11:11:52 IST
Reason: SelfAttested